

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण का कार्यालय

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2009

आदेश

सं. फा. 10 (795)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7419.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एकमी राईन रिवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., ए-27, दूसरी मंजिल, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,57,09,970 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,05,11,909 से 1,54,30,963 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,95,710/- (रुपये पांच लाख पिचानवे हजार सात सौ दस केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Office of the Chief Controlling Revenue Authority

Delhi, 16th September, 2009

ORDERS

F. No. 10 (795)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7419.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Akme Rhine River Projects Private Limited, A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,95,710 (Rs. Five Lac Ninety Five Thousand Seven Hundred Ten only) on the aggregate value of shares of Rs. 59,57,09,970 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,05,11,909 to 1,54,30,963 to be issued by the said company.

सं. फा 10 (851)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7420. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दी ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लि., रिजनल ऑफिस-1, नौवीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, टावर-1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख) जो कि उनके द्वारा अगस्त 2009 से दिसम्बर 2009 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय है का भुगतान करेगी। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

F. No. 10(851)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7420.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. The Oriental Insurance Company Limited, Regional Office-1, 9th Floor, Jeewan Bharti Building, Tower-1, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac only) in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period August, 2009 to December, 2009 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above-said stamp duty paid immediately after completion of above-said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

सं. फा. 10 (865)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7416.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रिगली इंडिया प्रा. लि., 206, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज III, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 31,96,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,48,89,142 से 1,55,28,521 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,19,690/-(रुपये तीन लाख उन्नीस हजार छः सौ नब्बे केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(865)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7416.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wrigley India Private Limited, 206, 2nd floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,19,690 (Rs. Three Lac Nineteen Thousand Six Hundred Ninety only) on the aggregate value of shares of Rs. 31,96,90,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,48,89,142 to 1,55,28,521 to be issued by the said company.

सं. फा 10(845)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7417.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लन्दन कोर्ट ऑफ इन्टरनेशनल आरबीट्रेशन (इंडिया) प्रा. लि., 104, अशोका इस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,75,00,000 मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,75,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 17,500/-(रुपये सतरह हजार पांच सौ केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(845)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7417.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. London Court of International Arbitration (India) Private Limited, 104, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,500 (Rs. Seventeen Thousand Five Hundred only) on the aggregate value of shares of Rs. 1,75,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1 to 1,75,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (849)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7418.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा.लि., एस-2 लेवल, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लाक-एफ, इन्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,72,24,190 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7,31,54,676 से 8,68,77,094 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,37,225 (रुपये एक लाख सैंतीस हजार दो सौ पच्चीस केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(849)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7418.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC Tower Company of India Private Limited, S-2 level, Upper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,37,225 (Rs. One Lac Thirty Seven Thousand Two Hundred Twenty Five only) on the aggregate value of shares of Rs. 13,72,24,190 for equity Share certificates with distinctive Nos. 7,31,54,676 to 8,68,77,094 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (863)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7387.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मोन्टगोमरी इंडिया प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 55,06,080 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18,17,469 से 23,68,076 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5507 (रुपये पांच हजार पांच सात सौ सात केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(863)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7387.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Montgomery India Private Limited, D-28, South Extension Part-I, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5507 (Rs. Five Thousand Five Hundred Seven only) on the aggregate value of shares of Rs. 55,06,080 for equity Share certificates with distinctive Nos. 18,17,469 to 23,68,076 to be issued by the said company.

सं. फा 10(857)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7396.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन, डीडीए फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,18,56,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 13,61,615 से 16,03,470 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,04,640 (रुपये छः लाख चार हजार छः सौ चालीस केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(857)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7396.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,04,640 (Rs. Six Lac Four Thousand Six Hundred Forty only) on the aggregate value of shares of debentures of Rs. 24,18,56,000 for issue of fully convertible debentures bearing distinctive No. 13,61,615 to 16,03,470 to be issued by the said company.

सं. फा 10 (792)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7415.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाइड्रो तस्मानिया कन्सल्टिंग इंडिया प्रा.लि., 12वीं मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,23,97,990 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 48,51,672 से 60,91,470 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,398 (रुपये बारह हजार तीन सौ अठ्ठानबे केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(792)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7415.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hydro Tasmania Consulting India Pvt. Ltd., 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,398 (Rs. Twelve Thousand Three Hundred Ninety Eight only) on the aggregate value of shares of Rs. 1,23,97,990 for equity Share certificates with distinctive Nos. 48,51,672 to 60,91,470 to be issued by the said company.

दिल्ली, 15, सितम्बर, 2009

सं. फा. 10 (807)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7314.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फिटजी लि., 29ए, कालू सराय, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,31,50,349 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 059672 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 23,151/- (रुपये तेईस हजार एक सौ इक्यावन केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 15th September, 2009

F. No. 10(807)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7314.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. FIITJEE Limited, 29A, Kalu Sarai, Sarvpriya Vihar, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 23,151 (Rs. Twenty Three Thousand One Hundred Fifty One only) on the aggregate value of shares of Rs. 2,31,50,349 for preference Share Certificates with distinctive Nos. 000001 to 059672 to be issued by the said company.

दिल्ली, 16, सितम्बर, 2009

सं. फा. 10 (864)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7375.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शनीद्र इलैक्ट्रिक इंडिया प्रा.लि., ए-29, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल ऐरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 195,31,71,310 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17,01,18,336 से 36,54,35,466 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,53,172/- (रुपये उन्नीस लाख तिरपन हजार एक सौ बहत्तर केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 16th September, 2009

F. No. 10(864)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7375.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Schneider Electric India Private Limited, A-29, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,53,172/- (Rs. Nineteen Lac Fifty Three Thousand One Hundred Seventy Two only) on the aggregate value of shares of Rs. 195,31,71,310/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 17,01,18,336 to 36,54,35,466 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (850)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7377.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स केबकोम केबल्स लि., 304, अग्रवाल सिटी माल, रोड नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,43,91,520/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60,086 से 44,99,237 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 44,392/- (रुपये चवालीस हजार तीन सौ बयानवे केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(850)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7377.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cabcom Cables Limited, 304, Aggarwal City Mall, Road No. 44, Pitampura, Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 44,392/- (Rs. Forty Four Thousand Three Hundred Ninety Two only) on the aggregate value of shares of Rs. 4,43,91,520/- for equity Share Certificates with distinctive Nos. 60,086 to 44,99,237 to be issued by the said company.

By Order
Of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)